

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234798
CG-DL-E-01042022-234798

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240]
No. 240]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2022/चैत्र 11, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2022/CHAITRA 11, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2022

आय-कर

सा.का.नि. 252(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) यह 01 अप्रैल, 2022 से प्रवृत्त होगा।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के परिशिष्ट-2 में, प्ररूप आ.क.वि.-7 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

प्ररूप आ.क.वि-7	भारतीय आयकर विवरणी [उन व्यक्तियों के लिए, जिनके अंतर्गत कंपनियां भी हैं, जिनसे केवल धारा 139 (4क) या धारा 139 (4ख) या धारा 139(4ग) या धारा 139(4घ) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है] (कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए) (कृपया मार्गदर्शन के लिए अनुदेश देखें)	निर्धारण वर्ष					
		2	0	2	2	-	2

भाग क-साधारण

व्यक्तिगत सूचना

(क1)नाम (सृजन/स्थापन/निगमन/विरचना संबंधी विलेख में यथावर्णित)				(क2)स्थायी लेखा संख्यांक			
(क4)फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं०				(क5)परिसर/भवन/ग्राम का नाम			
(क6)सड़क /मार्ग/डाक घर				(क7)क्षेत्र/अवस्थान			
(क8)नगर/शहर/जिला				(क9)राज्य		(क10)पिन कोड /जिप कोड	
(क13)कार्यालय का दूरभा संख्या एसटीडी कोड सहित/ मोबाइल सं.				(क14)फैक्स सं. / मोबाइल सं.2		(क15)ई मेल पता 1	
(क16)ई मेल पता 2							
(क17)(i) विवरणी प्रस्तुत की गई धारा ☐ 139(4क) ☐ 139(4ख) ☐ 139(4ग) ☐ 139(4घ) ☐ अन्य							
(ii) धारा जिसके अधीन छूट का दावा किया गया है, कृपया वर्णन करें (ट्रापडाउन दें)							
(क18) क्या निर्धारित द्वारा कोई परियोजना/संस्था चलाई जा रही है? (हां/नहीं) यदि हां तो कृपया ब्यौरे दें: आपके द्वारा चलाई जा रही परियोजना/संस्थाओं का ब्यौरे							
क्रम सं.	परियोजना/संस्था का नाम (पैरा 11गक के अनुदेश देखें)	क्रियाकलाप की प्रकृति (अनुदेश पैरा 11घ देखें)	वर्गीकरण (अनुदेश पैरा 11घ देखें)				
1							
2							
3							
4							
(क19)आयकर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम पंजीकरण या अनुमोदन के ब्यौरे (आज्ञापक हैं, यदि रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित हों)							
क्रम सं.	धारा जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत/ अनंतिम पंजीकृत या अनुमोदित/ अधिसूचित किया गया है	रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम पंजीकरण या अनुमोदन की तारीख	अनुमोदन/अधिसूचना/ यूनिक रजिस्ट्रीकरण सं. (यू.आर.एन)	अनुमोदन/ रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी	तिथि जिससे पंजीकरण/अनंतिम पंजीकरण/ अनुमोदन प्रभावी है		
1							
2							
3							
4							
(क20)आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम पंजीकरणया अनुमोदन के ब्यौरे (विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010 नीति आयोग के दर्पण पर पंजीकरण तथा सेबी के साथ पंजीकरण)							
क्रम सं.	जिस पोर्टल पर पंजीकृत है वह विधि अधीन	'किसी अन्य विधि' के मामले में विवरण दें	रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन की तारीख	अनुमोदन/अधिसूचना/रजिस्ट्रीकरण सं.	अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी	तिथि जिससे पंजीकरण प्रभावी है।	
1							
2							

फाइल करने की

/ /

(यूनिक संख्या)	/
----------------	---

क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निधारित द्वारा फाइल की गई है (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं

यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें--

(क22) क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय आसुचिबद्ध साधारण शेयर धारित किए हैं (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं
यदि हां तो कृपया साधारण शेयरों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दें।

अन्य ब्यौरे

		क्र.	प्रयोजन/संस्था का नाम	ऐसे क्रियाकलापों से कुल वार्षिक प्राप्तियों की राशि
		क		
		ख		
(क24)	i	क्या वां के दौरान उन उद्देश्यों/ क्रियाकलापों में कोई परिवर्तन हुआ है जिसके आधार पर अनुमोदन/ रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम पंजीकरण प्रदान किया गया था ?		☐ हां ☐ नहीं
	ii	यदि हां, कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :-		
		क	उक्त परिवर्तन की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	____/____/____
		ख	क्या धारा 12क उपधारा (1) के खंड (कख)/ धारा 12क उपधारा(1) उपधारा के खंड (कग) के उपखंड (v) के अनुसार 30 दिन की नियत अवधि के भीतर विहित प्ररूप और रीति में नए रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है	☐ हां ☐ नहीं
		ग	क्या नया पंजीकरण /अनंतिम पंजीकरण धारा 112कक/112कख के अधीन स्वीकृत किया गया है ?	☐ हां ☐ नहीं
		घ	उक्त नई रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम पंजीकरण की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	____/____/____
(क25)	क्या धारा 164 के अधीन अधिकतम सीमांत दर पर कर के लिए दायी है? (यदि धारा 13(1)(ग) और/या धारा 13(1)(घ)के अधीन नामंजूर किए जाने योग्य है)?			☐ हां ☐ नहीं
(क26)	क्या यह आपकी प्रथम विवरणी है ?			☐ हां ☐ नहीं
(क27)	(i)क्या आय-कर अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के लिए आप दायी हैं ? ☒ का निशान लगाएं ☐ हां ☐ नहीं यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें :			
(ii) किस धारा के अधीन आप संपरीक्षा के लिए दायी हैं (धारा विनिर्दिष्ट करें) कृपया संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख का उल्लेख करें (तारीख/मास/वां) (अनुदेश देखिए)				

[illegible]

विवरणी प्ररुप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

धारा 11(2) के अर्थातर्गत या धारा 10(23ग)/10(21) धारा 35(1) के साथ पठित के तीसरे परंतुक के निबंधनानुसार संचित/पृथक के ब्यौरे

[illegible]

धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण खंड (2) के अधीन आय आवेदन का विवरण

અનુસૂચી ૩

अ 1

कोष चंदा	01.04.2021 को प्रारंभिक शेष (1)	वर्ष के दौरान प्राप्त और कोष की तरह व्यवहृत (2)	वर्ष के दौरान न्यास या संस्थान के वस्तुओं के लिए अनुप्रयुक्त (3)	कोष में राशि निवेशित या वापिस जमा (जो कि पूर्व में अनुप्रयुक्त की तथा आवेदन के अनुसार दावा नहीं की गई) (4)	वित्त वर्ष जिसमें(4) पहले अनुप्रयुक्त हुआ (5)	31.03.2022 को समाप्ति बकाया (6) (1+2-3+4=6) (6=7+8)	धारा 11(5) में निर्दिष्ट 31.03.2022 को समुत्थान में निवेश (7)	धारा 11(5) में निर्दिष्ट 31.03.2022 के अलावा समुत्थान निवेश (8)
i. चंदे की प्राप्ति नवीनीकरण अथवा उन स्थानों की मरम्मत धारा 80जी(2)(ख) के अधीन अधिसूचित जिसमें वित्त वर्ष के दौरान समान चंदा प्राप्त हुआ								
ii. उपर्युक्त क के अलावा								

ऋण और उधार का विवरण

विनिधान निधियों का ब्यौरा

क्रम सं.	समुत्थान का नाम और पता	क्या समुत्थान कोई कंपनी है (जैसा लागू हो ☒ का निशान लगाएं)	धारित शेयरों का वर्ग	धारित शेयरों की संख्या	विनिधान का अभिहित मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
i		☐ हां ☐ नहीं			
ii		☐ हां ☐ नहीं			
iii		☐ हां ☐ नहीं			
iv		☐ हां ☐ नहीं			
v	योग				
उ	ऐसे स्वैच्छिक अभिदाय/संदान, जो वस्तु रूप में प्राप्त किए गए हैं किंतु जिन्हें उपबंधित समय के भीतर धारा 11(5) के अधीन विनिर्दिष्ट ढंगों में विनिधानों में संपरिवर्तित नहीं किया गया है				
क्रम सं.	दाता का नाम और पता	अभिदाय/संदान का मूल्य	उद्देश्य के मद्दे लागू अभिदाय का मूल्य	धारा 11(5) के अधीन विहित ढंगों में (3) में से विनिहित की गई रकम	धारा 11(3) के अधीन आय माना जाने वाला अतिशो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
i					
ii					
iii					
iv	योग				

भाग क-खुध

31 मार्च 2022 को समेकित संतुलन पत्र

निधियों का स्त्रोत	क	कोष स्त्रोत		
	1	कोष स्वामित्व		
निधियों का स्त्रोत	क	अनुसूची की धारा 80छ(2)(ख) (क1(6)I के अधीन अधिसूचित के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान में से कॉर्पस	1क	
	ख	अनुसूची जे के क1(6)ii के अन्य कॉर्पस	1ख	
	ग	गैर अनिवार्य आवेदन से संचित आय (आय का 15% जो नहीं है) आवेदन के लिए अनिवार्य	1ग	
	घ	धारा 10 या धारा 11(2) के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के अधीन संचित आय	1घ	
	ङ	(अनुसूची घ के स्तंभ 7) धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड 2 के अधीन आय की डीमड आवेदन	1ङ	
	च	कोई अन्य आरक्षित (प्रकृति निर्दिष्ट करें)		
	i	प्रकृति निर्दिष्ट करें	i	
	ii	प्रकृति निर्दिष्ट करें	i	
	iii	कुल (कi + कii.)	1चiii	
	छ	कुल कोष (क+ ख+ग+घ+ङ+च)	1छ	
निधियों का स्त्रोत	2	ऋण व उधार		
	क	सुरक्षित ऋण	क	
	ख	असुरक्षित ऋण (जमा सहित)	ख	
	ग	कुल ऋण कोष (क+ ख)	2ग	
	3	अग्रिम	3	
	4	कोष स्त्रोत (1च+ 2ग +3)	4	
	ख	निधियों का अनुप्रयोग		
	1	अचल आस्तियां		
	क	सकल अचल आस्तियां	1क	
	ख	मूल्यहास	1ख	
	ग	शुद्ध अचल आस्तियां (1क-1ख)	1ग	
	2	धारा 11(5) (2क+2ख+2ग) के अधीन निर्दिष्ट मोड़ में रखा गया निवेश	2	

		क	अनुसूची जे के (ख) ₍₅₎ i के कॉर्पस के अनुसार धारा 80छ(2)(ख) के अधीन प्राप्त दान से बाहर निवेश			2क					
		ख	अनुसूची जे के (ख) ₍₅₎ ii के अन्य कॉर्पस के अनुसार निवेश			2ख					
		ग	अनुसूची जे के (ख) (5)vii- ख(5)i- ख(5)ii में अन्य निवेश			2ग					
	3	धारा 11(5) के अधीन निर्दिष्ट मोड़ के अलावा रखा गया निवेश						3			
	4	वर्तमान आस्तियां									
			क	वर्तमान आस्तियां							
				i	माल			i			
				ii	विविध देनदार			ii			
				iii	नकद व बैंक बैलेंस						
					क	बैंक में बैलेंस	iii क				
ख					पर्याप्त नकदी	iii ख					
ग					अन्य	iii ग					
घ				कुल नकद तथा नकद समकक्ष (iii क + iii ख + iii ग)			iii घ				
iv			अन्य वर्तमान आस्तियां			iv					
v			कुल अन्य आस्तियां (i + ii + iii घ + iv)			क v					
ख	ऋण व अग्रिम				ख						
ग	कुल (क v + ख)				ग						
		घ	वर्तमान देनदारी तथा प्रावधान								
			i	वर्तमान देनदारी							
				क	विविध लेनदार	क					
				ख	अन्य लेनदार	ख					
				ग	कुल (क + ख)	i ग					
		ii	प्रावधान			ii					
		iii	कुल (i ग + ii)			घ iii					
इ	शुद्ध वर्तमान आस्तियां(4ग – 4घ iii)				4इ						
		5	कुल निधि या अनुप्रयोग (1+2+3+4इ)				5				

अनुसूची ठक

राजनैतिक दल

1	क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29क के अधीन पंजीकृत है?	☐ हां ☐ नहीं
	क यदि हां, कृपया पंजीकरण सं. दर्ज करें।	
	ख पंजीकरण तारीख	/...../.....
2	क्या लेखा बहियां रखी गई थीं ? जैसे लागू हों ☒ का निशान लगाएं	☐ हां ☐ नहीं
3	क्या खातों की लेखा-परीक्षा की गई है? (जो लागू हो उसे चिह्नित करें ☒)	☐ हां ☐ नहीं
	यदि हां, कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें :-	
	क	लेखा परीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)
	ख	लेखा परीक्षा रिपोर्ट हस्ताक्षर करने वाले लेखापरीक्षक का नाम
	ग	लेखा परीक्षक की सदस्य संख्या
	घ	लेखा परीक्षक का नाम (स्वामित्व/फर्म)
	ङ	स्वामित्व/फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.
	च	लेखापरीक्षक की स्थायी खाता संख्या (पैन)/ आधार सं. (स्वामित्व/फर्म)
	छ	लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख
4	क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ग की उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई है? (जो लागू हो उसे चिह्नित करें ☒)	☐ हां ☐ नहीं
	यदि हां, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि (तिथि/माह/वर्ष)	/...../.....

5	क	क्या वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति से 20 हजार रुपए से अधिक का कोई स्वैच्छिक अभिदाय प्राप्त किया गया था (लागू अनुसार ☒ का निशान लगाएं)	☐ हां ☐ नहीं
	ख	यदि हां तो 20 हजार रुपए से अधिक का प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय (निर्वाचन बंधपत्रों के रूप में अभिदायों से भिन्न) का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम और पता भी सम्मिलित है जिसने ऐसा अभिदाय किया है) रखा गया था ? (लागू अनुसार ☒ का निशान लगाएं)	☐ हां ☐ नहीं
6		क्या पाने वाले के खाते में देय बैंक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा या बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके या इलैक्ट्रॉनिक बंधपत्र के माध्यम से अन्यथा दो हजार रुपए से अधिक कोई संदान प्राप्त किया गया था ? (लागू अनुसार ☒ करें)	☐ हां ☐ नहीं
7		कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें:	
	क	वि.व. के दौरान पार्टी द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक कुल योगदान (ख + ग + घ)	7क
	ख	वि.व. के दौरान समस्त स्वैच्छिक कुल योगदान 2000रु. से कम प्राप्त का कुल मूल्य	7ख (खi+खii)
		i. नकद में	7खi
		ii. नकद के अलावा अन्य मोड़	7खii
	ग	वि.व. के दौरान समस्त स्वैच्छिक अंशदान जो 2000रु. से 20,000रु. के बीच प्राप्त हुआ का कुल मूल्य	7ग
	घ	वि.व. के दौरान समस्त स्वैच्छिक अंशदान जो 20,000रु. से अधिक प्राप्त हुआ का कुल मूल्य	7घ

अनुसूची ईटी

निर्वाचक न्यास

निर्वाचक न्यास	1	क्या लेखा बहियां रखी गई थीं ?	☐ हां ☐ नहीं
	2	क्या प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम, पता और पैन भी सम्मिलित है, जिसने अभिदाय की पद्धति के साथ ऐसा अभिदाय किया है) रखे गए थे ? जैसा लागू हों (☒) का निशान लगाएं	☐ हां ☐ नहीं
	3	क्या प्रत्येक ऐसे पात्र राजनैतिक दल का अभिलेख अनुरक्षित किया गया था जिसे वितरण योग्य अभिदायों का वितरण किया गया है (पात्र राजनैतिक दल का नाम, पता, पैन संख्या और रजिस्ट्रीकरण संख्या ? (लागू अनुसार ☒ का निशान लगाएं)	☐ हां ☐ नहीं
	4	क्या धारा 17गक(12) के अनुसार लेखाओं की संपरीक्षा की गई है ? (लागू अनुसार ☒ का निशान लगाएं)	☐ हां ☐ नहीं
		यदि हां तो प्ररूप 10खक में संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	____/____/____
	5	क्या नियम 17गक (14) के अनुसार रिपोर्ट आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को प्रस्तुत कर दी गई है ? जैसा लागू हों (☒) का निशान लगाएं	☐ हां ☐ नहीं
	6	प्राप्त ऐच्छिक अभिदायों और वर्ष के दौरान वितरित रकम के ब्यौरे	
	i	1 अप्रैल को आरंभिक अतिशे	i
	ii	वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया स्वैच्छिक अभिदाय	ii
	iii	योग (i+ii)	iii
	iv	राजनैतिक दलों को वितरित रकम	iv
	v	न्यास के प्रशासन और प्रबंध पर खर्च की गई रकम (उपरोक्त क्रं सं. II के 5% अथवा समावेशन के प्रथम वर्ष के लिए 5 लाख तथा बाद के वर्षों के लिए 3 लाख जो भी कम हो, तक सीमित)	v
	vi	योग (iv+v)	vi
	Vii	धारा 13ख के अधीन छूट के लिए उपयुक्त रकम (अनुसूची ईटी के क्रम सं. 6ii यदि 6iv में वितरित राशि 6iii के 95% है)(नियम 17गक के अनुसार)	Vii
	viii	31 मार्च को संवरण अतिशेष	Viii

अनुसूची वीसी

स्वैच्छिक अभिदाय (आईटीआर 7 भरते समय सभी व्यक्तियों द्वारा आज्ञापक रूप में भरा जाए)

अ	घरेलू अंशदान	
i	समग्र संदान	आं
क	अनुसूची की धारा 80छ(2)(ख) के अधीन अधिसूचित के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान में से कॉर्पस	आंक

	ख	उपर्युक्त के अलावा कॉर्पस	आंख		
	ii	समग्र संदान के अतिरिक्त		आii	
	(क)	सरकार से प्राप्त अनुदान			
		कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन कंपनियों से प्राप्त अनुदान			
		अन्य विनिर्दिष्ट अनुदान			
		अन्य संदान			
		कुल		आiiड	
	iii	घरेलू स्वैच्छिक अभिदाय (आ + आiiड)		आiii	
	आ	विदेशी अभिदाय			
	i	समग्र निधि संदान		आ i	
	क	अनुसूची की धारा 80छ(2)(ख) के अधीन अधिसूचित के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान में से कॉर्पस	आ iक		
	ख	उपर्युक्त के अलावा कॉर्पस	आ iख		
	ii	समग्र निधि संदान के अतिरिक्त		आ ii	
	iii	विदेशी अभिदाय (आ i + आiii)		आ iii	
	iv	प्रयोजन निर्दिष्ट करें जिसके लिए विदेशी अंशदान प्राप्त किया गया		आ iv	
इ		कुल अभिदाय (आiii + आiii)		इ	
ई		ग में सम्मिलित अज्ञात दान, धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य [निर्धारिती पर लागू जो धारा 11 या 10(23ग)(iv) या 10(23ग)(v) या 10(23ग)(vi) या 10(23ग)(vिक) या 10(23ग)(iiiकघ) या 10(23ग)(iiiकड) के अधीन छूट का दावा कर रहा है]			
	i	प्राप्त किए गए ऐसे अनाम अभिदाय का योग		i	
	ii	ई पर प्राप्त कुल अभिदाय का 5% या 1,00,000 जो भी ज्यादा हो		ii	
	iii	धारा 115 खखग के अधीन 30% (i – ii) की दर से प्रभार्य अनाम अभिदाय		iii	

अनुसूची एआई

ऐच्छिक अभिदायों को अपवर्जित करके पूर्व के दौरान व्युत्पन्न कुल आय [धारा 11 और 12 के अधीन या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(vिक)के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों द्वारा भरा जाए]

आय का कुल जोड़	1	मुख्य उद्देश्यों से प्राप्तियां	1	
	2	अनुषंगी उद्देश्यों से प्राप्तियां	2	
	3	किराया	3	
	4	कमीशन	4	
	5	लाभांश आय	5	
	6	ब्याज आय	6	
	7	कृषि आय	7	
	8	पूंजी आस्ति के अंतरण पर शुद्ध प्रतिफल	8	
	9	कोई अन्य आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
		प्रकृति	रकम	
	क	आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरे)	क	
	ख		ख	
	ग		ग	
	घ		घ	
	ड	कुल (9क + 9ख + 9ग + 9घ)	ड	
10		कुल (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 9) (कृषि आय के अलावा)	9ड	
			10	

अनुसूची ई.
आर

न्यास/संस्थानों के स्थिर वस्तुओं पर लागू राशि समस्त स्तोतों से पूर्व वर्ष के दौरान इस तालिका के राजस्व ई. से ई. में संदर्भित (निर्धारित) द्वारा धारा 11 या 12 या धारा 10(23ग)(iv) या 10(23ग)(v) या 10(23ग)(vi) या 10(23ग)(vi) के अधीन छूट का दावा के लिए दाखिल किया जाएगा/

				रकम	
अ	स्थापना तथा प्रशासन के लिए आवेदन (आवेदन के अलावा अनुमेय नहीं) जिसका विवरण ग में दाखिल करना आवश्यक है)				
	1	किराए		1	
	2	मरम्मत और अनुरक्षण		2	
	3	कर्मचारियों को प्रतिकर		3	
	4	बीमा		4	
	5	कर्मकार और कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय		5	
	6	मनोरंजन और आतिथ्य		6	
	7	विज्ञापन		7	
	8	वृत्तिक/परामर्शिक फीस / तकनीकी सेवाओं के फीस		8	
	9	विदेशी यात्रा के अतिरिक्त प्रवहण और यात्रा व्यय		9	
	10	धारा 13(3) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्तियों को पारिश्रमिक		10	
	11	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय दरें और कर (जिसमें आय पर कर अंतर्विष्ट नहीं है)		11	
	12	ब्याज		12	
	13	संपरीक्षा फीस		13	
	14	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		प्रकृति	रकम		
		क	क		
		ख	ख		
		ग	ग		
		घ	घ		
		ङ	कुल (क + ख + ग + घ)	ङ	
	15	कुल (अ1 से अ14)		15	
आ	न्यास/संस्थान के वस्तुओं के प्रति अनुप्रयोग ग में शामिल वस्तुएं नहीं)				
	1	धारा 12कक/12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (vi) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान			
	2	धार्मिक		2	
	3	गरिबों के लिए अनुतोष		3	
	4	शिक्षा		4	
	5	योग		5	
	6	चिकित्सा अनुतोष		6	
	7	पर्यावरण संरक्षण		7	
	8	समारकों आदि का संरक्षण		8	
	9	सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता		9	
	10	कुल (आ 1 से आ9)		आ10	
इ	अनुप्रयोग के अनुसार व्यय अनुमेय नहीं (इ1 + इ2 + इ3 + इ4 + इ5 + इ6 + इ7)				इ
	1	कॉर्पस के प्रति धारा 12कक/12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (vi) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में		1	
	2	धारा 12कक/12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (vi) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के प्रति अलावा संचित आय से बाहर दान के मामले में		2	
	3	धारा 12कक/12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (vi) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के		3	

		अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में जिनके पास वही वस्तुएं नहीं हैं।		
4		धारा 12कक/12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(vik) के अधीन अनुमोदित न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान	4	
5		भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है।	5	
6		न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त	6	
7		किसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए	7	
ई		वर्ष के दौरान आय-राजस्व का कुल अनुप्रयोग (अ15 + आ10)	ई	
उ		पंक्ति घ में निधि का स्रोत राजस्व अनुप्रयोग	उ	
	1	पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित संपत्ती/आय से व्युत्पन्न आय (कॉर्पस को छोड़कर)	1	
	2	पूर्ववर्ती वर्षों में धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक या धारा 11(2) के अधीन संचित आय	2	
	3	किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड 2 के अधीन अनुप्रयुक्त आय (केवल तभी लागू जब धारा 11 तथा 12 के अधीन छूट का दावा किया हो)	3	
	4	15 प्रतिशत तक संचित या पृथक पूर्ववर्ती की आय	4	
	5	कॉर्पस	5	
	6	उधार ली गई निधि	6	
	7	वर्ष के दौरान प्राप्त कृषि आय तथा राजस्व व्यय के लिए अनुपयुक्त	7	
	8	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	8	
ऊ		पूर्व वर्ष के दौरान प्रयुक्त कुल राशि- राजस्व खाता [क15 + ख10 - ड2 - ड3 - ड4 - ड5 - ड6 - ड7 - ड8]	ऊ	
ए		'ऊ' के बाहर गत वर्ष के दौरान राशि जो वास्तव में भुगतान नहीं की गई।	ए	
ऐ		राशि जो वास्तव में गत वर्ष के दौरान भुगतान की गई जो अन्य पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित की गई थी किंतु पहले गत वर्ष में आय अनुप्रयोग के अनुसार दावा नहीं की गई	ऐ	
ओ		आवेदन के रूप में स्वीकृत की जाने वाली कुल राशि (ओ = ऊ - ए + ऐ)	ओ	

अनुसूची ईसी

पूर्व वर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए अनुप्रयुक्त रकम - पूंजीगत लेखा [इस तालिका में संदर्भित अ1 से अ8 में संदर्भित सभी स्रोतों से] [धारा 11 और धारा 12 के अधीन या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(vik) के अधीन फाइल किया जाए]

				रकम
1		कार्य में प्रगति पूंजी कार्य के लिए अतिरिक्त (उसके लिए जिसे धारा 11(1अ) के अधीन छूट के लिए दावा नहीं किया गया है)	1	
2		पूंजी आस्ति का अर्जन (आय के अनुप्रयोग के रूप में दावा नहीं किया गया तथा जिसके लिए धारा 11(1क) के अंतर्गत छूट का दावा नहीं किया गया है)	2	
3		धारा 11 (1क) के अधीन छूट के दावे के लिए नई आस्तियों की लागत (शुद्ध प्रतिफल तक निर्बंधित)	3	
4		अन्य पूंजी व्यय		
	क्र. सं.	प्रकृति		राशि
	i		4i	
	ii		4ii	
	iii		4iii	
	iv	कुल व्यय (4i + 4ii + 4iii)	4i v	
5		कुल पूंजी व्यय (1 + 2 + 3 + 4)	5	
अ		पूंजी व्यय को पूरा करने के लिए निधि का स्रोत		
	1	पूर्व के दौरान संपत्ती से व्युत्पन्न आय (कॉर्पस को छोड़कर)	अ 1	
	2	पूर्ववर्ती वर्षों में धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक या धारा 11(2) के अधीन संचित आय	अ 2	
	3	किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड 2 के अधीन अनुप्रयुक्त आय	अ 3	
	4	15 प्रतिशत तक संचित या पृथक पूर्व वर्ष की आय	अ 4	

	5	कॉर्पस	अ	5
	6	उधार ली गई निधि	अ	6
	7	वर्ष के दौरान प्राप्त कृषि आय तथा राजस्व व्यय के लिए अनुपयुक्त	अ	7
	8	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	अ	8
आ	पूर्व वर्ष के दौरान कुल राशि- पूंजी खाता [5 - अ2 - अ3 - अ4 - अ5 - अ6 - अ7 - अ8]		आ	
इ	'आ' के बाहर गत वर्ष के दौरान राशि जो वास्तव में भुगतान नहीं की गई।		इ	
ई	राशि जो वास्तव में गत वर्ष के दौरान भुगतान की गई जो अन्य पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित की गई थी किंतु पहले गत वर्ष में आय अनुप्रयोग के अनुसार दावा नहीं की गई		ई	
उ	आवेदन के रूप में स्वीकृत की जाने वाली कुल राशि (उ = आ - इ + ई)		उ	

अनुसूची आई.ई-1 आय और व्यय विवरण (धारा 10(21), धारा 10(22ख), धारा 10(23कक), धारा 10(23ख), धारा 10(23घ), धारा 10(23चक), धारा 10(23डग), धारा 10(23डघ), धारा 10(23डड), 10(23चख), धारा 10(29क), धारा 10(46), धारा 10(47) के अधीन और धारा 10 के अन्य खंड के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों को लागू, जहां आय बिना शर्त छूट प्राप्त है)

	1	कोई स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां	1	
	2	संस्था के उद्देश्य के मद्दे आय का उपयोग	2	
	3	संचित आय	3	

अनुसूची आई.ई-2 आय और व्यय विवरण (धारा 10(23क), धारा 10(24) के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों को लागू)

अ	1	कोई स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां	1	
	2	संस्था के उद्देश्य के मद्दे आय का उपयोग	2	
	3	संचित आय	3	
आ	1	क्या आपकी कोई ऐसी आय है जो कराधेय है? यदि हां तो कृपया कराधेय के ब्यौरे उपलब्ध कराएं (चिह्नित करें) ☒	☐ हां ☐ नहीं	
	क	गृह संपत्ति से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची एच.पी भरें)	1क	☐ हां ☐ नहीं
	ख	कारबार या वृत्ति से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची बी.पी भरें)	1ख	☐ हां ☐ नहीं
	ग	पूंजीलाभ से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची सी.जी भरें)	1ग	☐ हां ☐ नहीं
	घ	अन्य स्रोत से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची ओ.एस भरें)	1घ	☐ हां ☐ नहीं

अनुसूची आई.ई-3 आय एवं व्यय विवरण [निर्धारितियों के लिए लागू जो धारा 10(23ग)(iii)कख या 10(23ग)(iii)कग] के अधीन छूट का दावा कर रहा है (कृपया प्रत्येक संस्थान के लिए अलग से पता दर्ज करें):

1	संस्था के उद्देश्य (ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए-शिक्षा/चिकित्सा):	
2	पता जहां क्रियाकलाप किए जाते हैं	
3	किसी स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां	
4	उपरोक्त क्रम सं.3 में से सरकारी अनुदान	
5	उद्देश्य के लिए अनुप्रयोजित रकम	
6	संचित अतिशेष	

अनुसूची आई.ई-4 आय एवं व्यय विवरण [निर्धारितियों के लिए लागू जो धारा 10(23ग)(iii)कघ या 10(23ग)(iii)ड] के अधीन छूट का दावा कर रहा है (कृपया प्रत्येक संस्थान के लिए अलग से पता दर्ज करें):

1	संस्था के उद्देश्य (ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए-शिक्षा/चिकित्सा):	
2	पता जहां क्रियाकलाप किए जाते हैं	
3	सकल वार्षिक प्राप्तियां	
4	उद्देश्य के लिए अनुप्रयोजित रकम	
5	संचित अतिशेष	

अनुसूची गृह संपत्ति गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए डापडाउन उपलब्ध किया जाए)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड / जिप कोड
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविट करें)				
	संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता				
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या/ आधार सं.		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता
	I				
	II				
	लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं (सही का निशान लगाएं) ☒	किराएदार का नाम यदि किराये पर हो	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार सं. (यदि उपलब्ध हों)		किरायदार (रों) का पैन/टैन/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया जाता है)
	☐ यदि किराए पर हो	I			
	☐ स्वयं के उपभोग में	II			
	☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया				
	क	सकल प्राप्त या प्राप्य या किराए योग्य मूल्य			1क
	ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती			1ख
	ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर			1ग
	घ	योग (1ख + 1ग)			1घ
	ङ	वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)			1ङ
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)			1च	
छ	1च का 30%			1छ	
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज			1ज	
झ	योग (1छ + 2ज)			1झ	
ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त बकाया/वसूलनीय किराया			1ञ	
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1ङ - 1ज + 1ञ)			1ट	
2	संपत्ति 2 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड / जिप कोड	
क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविट करें)					
संपत्ति में अंश की प्रतिशतता					
सह-स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या/ आधार सं.		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता	
I					
II					
लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं (सही का निशान लगाएं) ☒	किराएदार का नाम यदि किराये पर हो	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार सं. (कृपया टिप्पण देखें)		किरायदार (रों) का पैन/टैन/ आधार सं. (कृपया टिप्पण देखें)	
☐ यदि किराए पर हो	I				
☐ स्वयं के उपभोग में	II				
☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया					
क	सकल प्राप्त या प्राप्य या किराए योग्य मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)			2क	
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती			2ख	
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर			2ग	
घ	योग (2ख + 2ग)			2घ	
ङ	वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)			2ङ	
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)			2च	
छ	1च का 30%			2छ	
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज			2ज	

टिप्पण ▶ किरायदार की स्थायी खाता संख्या/ आधार सं. देना आज्ञापक है, यदि धारा 194-इख के अधीन कर की कटौती की गई है।
किरायदार का टीएएन देना आज्ञापक है, यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती की गई है।

अनुसूची-पूँजी अभिलेख										
पूँजी अभिलेख										
क	लघु अवधि पूँजी अभिलेख (एसटीसीजी) (उप-मद 4 और 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है)									
लघु अवधि पूँजी अभिलेख	1 भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक रूप से ब्यौरे भरें)									
	क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य					का		
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य					कii		
		iii	पूँजी अभिलेख के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य (यदि (कii) 1.10 गुणा (का), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़े को (का) के रूप में लें या अन्यथा (कii) के रूप में लें)					कiii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां								
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत					ख i		
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत					ख ii		
		iii	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय					ख iii		
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)					ख iv		
	ग	तुलन कiii – ख iv)						1 ग		
	घ	धारा 54 घ / 54 छ/54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)						1 घ		
	ङ	स्थावर संपत्ति पर लघु अवधि पूँजी अभिलेख (1 ग - 1 घ)						क 1 ङ		
	च	अचल संपत्ति के अंतरण के मामले में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (टिप्पण देखें)								
		क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम	क्रेता(क्रेताओं) का पैना/ आधार सं.	शेयर प्रतिशत	रकम	संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड	पिन कोड	राज्य	
	टिप्पण ▶	यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैना/ देना अनिवार्य है एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें								
2	स्लम्य विक्री से									
	क	i	नियम 11प.क.ङ (2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य					2का		
		ii	नियम 11प.क.ङ (3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य					2कii		
		iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (का या कii का अधिकतम)					2कiii		
	ख	वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य					2 ख			
ग	स्लम्य की विक्री से लघु अवधि पूँजी अभिलेख (2कiii - 2 खे)						क 2 ग			
3	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (विदेशी के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है									
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य						3 क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां								
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत					ख i		
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत					ख ii		
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय					ग iii		
		iv	योग(i + ii + iii)					ख iv		
	ग	शे (3 क – ख iv)						3 ग		
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभान्श/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)						3 घ			
ङ	साम्ना शेयर या साम्ना उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूँजी अभिलेख (एसटीटी संदत्त) (3 ङ +3 घ)						क 3 ङ			
4	अनिवासियों के लिए जो एफ आईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभान्शों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)									
	क	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त किया गया है						क 4		

ख संयवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संयवहार कर (एसटीटी) संदत्त नहीं किया गया है		क	4 ख	
5	अनिवारियों की दशा में-धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न)			
क	i	प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-		
	क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य।	i	क
	ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i	ख
	ग	पूँजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	i	ग
	ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क	ii
	iii	कुल (iग + ii)	क	iii
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ		
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख	i
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख	ii
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख	iii
	iv	योग (i + ii + iii)	ख	iv
ग	शे	(5 क iii- ख iv)	5	ग
घ		धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभार्ज/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	5	घ
ङ		साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूँजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ङ + 3 घ)	क	5 ङ
6	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से			
क	i	आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-		
	क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य।	i	क
	ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i	ख
	ग	पूँजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	i	ग
	ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क	ii
	iii	कुल (iग + ii)	क	iii
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ		
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख	i
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख	ii
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख	iii
	iv	योग (i + ii + iii)	ख	iv
ग	शे	(6 क iii- ख iv)	6	ग
घ		धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभार्ज/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	6	घ
ङ		अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्प कालिक पूँजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजीका 6)	6	ङ
च		धारा 54 घ/54 छ/54 छक के अधीन कटौती	6	च
छ	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसी जी (6 ग+ 6 घ + 6 ङ + 6 च)			
7	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि			
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वॉ के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूँजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वॉ के लिए देय तारीख के भीतर पूँजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है?			
	☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं			
	क्रम सं.	पूर्व वॉ में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वॉ में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है
			वॉ जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	पूँजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि
	i	2018-19	54घ/54छ/54छक	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूँजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
ख	धारा 54 ख/54 घ/54 छ/54 छ क से भिन्न लघु अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि			
	धारा 54 ख/54 घ/54 छ/54 छ लघु अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि (कxi+ ख)			
8	अल्पावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए प्राप्त (अनुसूची पीटीआई भरें) (क8क+ क8ख+क8ग)			
क	15%की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास			क8 क
ख	30%की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास			क8 ख

	ग	लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क8ग								
9	एसटीसीजी की रकम जो क1-क8 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार भारत में कर प्रभार्य नहीं है या विशेषा दर पर कर प्रभार्य है:										
	क्रम सं.	आय की राशि	उपरोक्त पद सं. का से क8 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की धारा	संघि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो शून्य लिखें)	क्या टीआरसी प्राप्त है (हाँ/नहीं)	आयकर अधिनियम की धारा	आयकर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6) या(9)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
	क	डीटीए के अधीन भारत एसटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि								क9क	
	ख	डीटीए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम								क9ख	
10	कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (क1 ड+ क2 ग+ क3 ड+ क4 क+ क4 ख+ क5 ड+ क6 छ+ क7 + क 8 - क9क)									क 10	
ख	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (निवासियों के लिए उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 लागू नहीं हैं)										
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्यौरे पृथक रूप से भरें)									
	क	i	प्राप्त/प्राप्त्य प्रतिफल का पूरा मूल्य					का			
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य					का			
		iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य यदि (का) 1.10 गुणा (का), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़ों को (का) के रूप में लें या अन्यथा (का) लें।					का			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ									
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत					ख i			
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत					ख ii			
		iii	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय					ख iii			
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)					ख iv			
	ग	शे (क iii - ख iv)					1 ग				
	घ	धारा 54 घ / 54 डग/54 छ /54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)					1 घ				
	ङ	स्थावर संपत्ति पर दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)					ख 1 ड				
	च	अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (कृपया टिप्पण दें)									
		क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम	क्रेता(क्रेताओं) का पैन / आधार नं.	शेयर प्रतिशत	रकम	संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड	पिन कोड	राज्य		
		टिप्पण ► यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैन/ आधार नं देना अनिवार्य है । एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें ।									
2	स्लम्प विक्री से										
	क	i	नियम 11प.क.ड (2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य					2का			
		ii	नियम 11प.क.ड (3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य					2का			
		iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)					2का			
	ख	बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य					2 ख				
	ग	शे (2का - 2 ख)					2 ग				
	घ	धारा 54ड.ग के अंतर्गत कटौती					2 घ				
	ङ	स्लम्प के विक्रय से दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (2 ग-2 घ)					ख 2 ड				
3	बंध पत्रों या डिबेंचरों विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न)										
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य					3क				
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ									
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत					ख i			
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत					ख ii			
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय					ख iii			
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)					ख iv			
	ग	एलटीसीजी बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (3क - 3 ख iv)					ख 3 ग				
4	सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्रों के विक्रय से जहां धारा 112(1)के अधीन परंतुक लागू होता है।										
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य					4क				
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ									

			i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i						
			ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii						
			iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii						
			iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv						
	ग	पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (4क - 4 ख iv)				ख 4 ग				
5	किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की इकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है									
	उपरोक्त ख5 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ						ख5			
6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)									
	सूचकांक (इंडेक्सेशन) लाभ के बिना संगणित शेयर अथवा डिबेंचर पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ						ख 6			
7	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीसीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से (धारा 112 क में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के सिवाय जिसके लिए सतभ ख8 भरा जाएगा)									
	क	i	प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-							
			क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	i क					
				ख	विहित सीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख				
				ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	iग				
			ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य				क ii		
			iii	कुल (iग + ii)				क iii		
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां						
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i					
				ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii					
				iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii					
				iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv					
			ग	अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (क iii - ख iv)				ख7ग		
			8	अनिवासियों के लिए किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की इकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है						
				उपरोक्त ख8 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ						ख8
9	आस्तियों के विक्रय से जहां ऊपर ख 1 से ख 8 लागू नहीं होते हैं									
	क	i	आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-							
			क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य						
				ख	विहित सीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य					
				ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	iग				
			ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य						
			iii	कुल (iग + ii)				क iii		
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां						
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i					
				ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii					
				iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii					
				iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv					
			ग	शे (9 क iii - खiv)				7 ग		
			घ	धारा 54घ/धारा 54छ /धारा 54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)				7 घ		
			ङ	ऊपर ख 9 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (9ग - 9घ)				ख 9 ङ		
10	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि									
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वां के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वां के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है?									
	☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं									
	क्रम	पूर्व वां में जिसमें	वह धारा जिसके अधीन उस	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं					

	सं.	आस्तियां अंतरित की गई है	वां में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है।	वां जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	पूँजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई राशि	की गई या पूँजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि							
	i	2018-19	54घ/54छ/54छक										
ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि												
	दीर्घ अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि (क xi+ख)						ख10						
11	दीर्घावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरे)(ख12क1+ख12क2 + ख12ख)						ख11						
	क1	धारा 112क के अंतर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास				ख11क1							
	क2	धारा 112क को छोड़कर 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधिक पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास				ख11क2							
	ख	दीर्घ अवधि पूँजी अभिलाभ के रूप में पास थूँ आय 20 प्रतिशत की दर से प्रभार्य				ख 11ख							
12	एलटीसीजी की रकम जो ख1- ख11 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार भारत में कर प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर कर प्रभार्य है: (अनुसूची एसआई को लिया जाना है)												
	क्रम सं.	आय की राशि	उपरोक्त पद सं. ख 1 से ख 11 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की धारा	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो शून्य लिखें)	क्या टीआरसी प्राप्त है (हाँ/नहीं)	आयकर अधिनियम की धारा	आयकर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6) या(9)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
	I												
	II												
	क	डीटीए के अधीन एलटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि									ख12क		
	ख	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एलटीसीजी की कुल राशि									ख12ख		
13	कुल दीर्घावधि पूँजी अभिलाभ (ख 1ड + ख 2ड + ख 3 ग + ख 4 ग + ख 5 + ख 6 + ख 7 ग + ख 8घ - ख9ड + ख 10 + ख 11 - ख12क) (यदि क्षति हो तो ख13 को शून्य के रूप में लें)										ख 13		
ग	“पूँजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 10 + ख13)										ग		
घ	पूँजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती की जानकारी												
1	धारा 54घ / धारा 54ङग/ धारा 54छ /धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दें।												
	क	धारा 54 घ के अधीन दावाकृत कटौती											
	i	मूल अस्ति के अर्जन की तारीख					क i	दिन/मास/वर्ष					
	ii	औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि/भवन के क्रय/निर्माण की लागत					क ii						
	iii	नए भूमि या भवन के क्रय की तारीख					क iii	दिन/मास/वर्ष					
	iv	नियत तारीख से पहले पूँजी अभिलाभ योजना में जमा राशि					क iv						
	v	दावाकृत कटौती की राशि					क v						
	ख	धारा 54 ड ग के अधीन दावाकृत कटौती											
	i	मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख					ख i	दिन/मास/वर्ष					
	ii	विनिर्दिष्ट/अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की गई रकम (पचास लाख से ज्यादा नहीं)					ख ii						
	iii	निवेश की तारीख					ख iii	दिन/मास/वर्ष					
	iv	दावाकृत कटौती की राशि					ख iv						
	ग	धारा 54 छ के अधीन दावाकृत कटौती											
	i	शहरी क्षेत्रसे मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख					ग i	दिन/मास/वर्ष					
	ii	नई आस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत					ग ii						
	iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में खरीदी/बनाई गई आस्ति की तारीख					ग iii	दिन/मास/वर्ष					
	iv	नियत तारीख के पहले पूँजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि					ग iv						
	v	दावाकृत कटौती की राशि					ग v						
	घ	धारा 54 छक के अधीन दावाकृत कटौती											
	i	शहरी क्षेत्रसे मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख					घ i	दिन/मास/वर्ष					
	ii	नई आस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत					घ ii						

क्र. सं.	पूँजी अभिलाभ का प्रकार		चालू वा क अभिलाभ (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)	मुजराई की गई पूंजी हानि				मुजराई की गई दीर्घ अवधि पूंजी हानि			मुजराई के पश्चात चालू वा के पूंजी अभिलाभ 7= 1-2-3-4-5-6)
				15%	30%	लागू दर	डीटीए दर	10%	20%	डीटीए दर	
				1	2	3	4		5	6	
i	मुजराई की जाने वाली हानि (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक नकारात्मक हो)			(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)	अ5ड*+ अ8ख*	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7*+ अ8ग*)	अ9ख*	आ4ग*+ आ5*+ आ7ग*+ आ8च*+ आ9ड*+ आ11क1*+ आ11क2*)	(आ1ड*+ आ2ड*+ आ3ग*+ आ6ग*+ आ9ड*+ आ10*+ आ11ख*)	आ12ख	
ii	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ	15%	(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)								
iii		30%	अ5ड*+ अ8ख*								
iv		लागू दर	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7*+ अ8ग*)								
v		डीटीए दर	अ9ख*								
vi	दीर्घ अवधि पूंजी हानि	10%	आ4ग*+ आ5*+ आ7ग*+ आ8च*+ आ9ड*+ आ11क1*+ आ11क2*)								
vii		20%	आ4ग*+ आ5*+ आ7ग*+ आ8च*+ आ9ड*+ आ11क1*+ आ11क2*)								
viii		डीटीए दर	आ12ख								
ix	मुजराई की गई कुल हानि (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)										
x	मुजराई के बाद शेष हानि (i – ix)										

इस सारणी में एसटीसीजी के अंक (अ1ड*) स्तंभ (अ1-अ8) में क्रमश संग्रहित एसटीसीजी की वह रकम है जिसमें एसटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, धटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है।

इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (अ1ड*) स्तंभ (अ1-अ8) में क्रमश संग्रहित एलटीसीजी की वह रकम है जिसमें एलटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, धटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है।

अनुसूची-अन्य स्रोत

अन्य स्रोतों से आय

1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	1	
क	लाभांश, सकल (क ⁱ + क ⁱⁱ)	1क	
i	धारा 2(22)(ड) के अधीन लाभांश आय	क ⁱ	
ii	(i) के अलावा लाभांश आय	क ⁱⁱ	
ख	व्याज, सकल (ख ⁱ + ख ⁱⁱ + ख ⁱⁱⁱ + ख ^{iv})	1ख	
i	बचत बैंक से	ख ⁱ	
ii	निक्षेपों से (बैंक/डाकघर/सहकारी/ सोसाइटी/)	ख ⁱⁱ	
iii	आयकर प्रतिदाय से	ख ⁱⁱⁱ	
iv	आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	ख ^{iv}	
v	अन्य	ख ^v	
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग	
घ	धारा 56 (2)(भ) में निर्दिष्ट में प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घ ⁱ + घ ⁱⁱ + घ ⁱⁱⁱ + घ ^{iv} + घ ^v)	1घ	
i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का सकल मूल्य	घ ⁱ	
ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घ ⁱⁱ	
iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घ ⁱⁱⁱ	
iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घ ^{iv}	
v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घ ^v	
ङ	कोई अन्य आय (अलग प्रकृति)	1ङ	
क्रं.सं.	प्रकृति	राशि	
	धारा 10 के खंडों के अधीन छूट की अस्वीकृति के कारण आय		
	यथा अपेक्षित पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं		
ङ2	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	1ङ	
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रं.सं. 1 से संबंधित तत्व)	2	
क	लॉटरी, वर्ग पहेली आदि जीतने से हुई आय	2क	
ख	धारा 115खखड के अधीन प्रभार्य आय (ख ⁱ + ख ⁱⁱ + ख ⁱⁱⁱ + ख ^{iv} + ख ^v + ख ^{vi})	2ख	
i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	ख ⁱ	
ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	ख ⁱⁱ	
iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	ख ⁱⁱⁱ	
iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	ख ^{iv}	
v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	ख ^v	
vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	ख ^{vi}	
ग	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य (ग ⁱ से ग ^{xiv} का योग)	2ग	
i	धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभार्य अनिवासी या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	ग ⁱ	
ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त विदेशी करेंसी पर ब्याज	ग ⁱⁱ	
iii	धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य अवसरचनात्मक ऋण निधि	ग ⁱⁱⁱ	
iv	धारा 115क(1)(क)(iv) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठग(1) @5% में निर्दिष्ट ब्याज	ग ^{iv}	
v	धारा 115क(1)(क)(v) के अधीन प्रभार्य धारा 194 ठ ग(1) @4% में निर्दिष्ट ब्याज	ग ^v	
vi	धारा 115क(1)(क)(vi) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज	ग ^{vi}	
vii	संवितरित आय जो धारा 115क(1)(क)(vii) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठकक में निर्दिष्ट ब्याज है	ग ^{vii}	

7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें)						7	
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय							
	क	प्राप्तियां	8क					
	ख	केवल 8क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख					
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग					
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ					
	ङ	अतिशो (8क – 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियाँ 6xi के अंक प्रविष्टि करें)				8ङ		
9	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)						9	
10	अन्य स्रोतों से प्रोदभूत/प्राप्ति के बारे में जानकारी							
	क्र.सं	अन्य स्रोत से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	

1	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लॉटरी, बर्गपहेली, दौड़, खेल, झुत, बाज़ी लगाने आदि से जीत के रूप में आय						
2	क्रम सं. 1क (i) में संदर्भित लाभांश पर आय						
3	धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन 20% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
4	धारा 115कग के अधीन 10% की दर से लाभांश आय						
5	धारा 115कगक के अधीन 10% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
6	धारा 115A(1)(क)(ii)कग के अधीन 10% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
7	धारा 115कघ (1)(i) के अधीन 10% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाइयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
8	डीटीएए दरों पर प्रभाय लाभांश आय 1क (i) के संबंध में						

अनुसूची ओए		साधारण	
क्या कारबार और वृत्ति शीर्ष के अधीन आपकी कोई आय है ? ☐ हां ☐ नहीं (यदि “हां” तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविट करें)			
1	कारबार या वृत्ति की प्रकृति (अनुदेश देखें)	1	
2	शाखाओं की संख्या	2	
3	पूर्ववा में लेखांकन की पद्धति ☒ (का निशान लगाएं) ☐ व्यापारिक ☐ नकद	3	
4	क्या लेखांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है ☒ (का निशान लगाएं) ☐ हां	4	
5	धारा 145क के अधीन विहित लेखांकन मानकों से पूर्ववा में की गई लेखांकन पद्धति में किए गए विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ पर प्रभाव	5	
6	पूर्ववा में लागू बंध स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति	6	
क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर है तो 3 लिखें)	☐	
ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर है तो 3 लिखें)		
ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है, ☒ (का निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं		
घ	धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव	6घ	

अनुसूची – कारबार या वृत्ति कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

असट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति										
1	कर पूर्व लाभ आय और व्यय खाते के अनुसार कर से पूर्व लाभ (जैसा लागू हो)								1	
2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -चिह्न प्रविष्ट करें)					2क				
2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -चिह्न प्रविष्ट करें)					2ख				
3	लाभ और हानि लेखा में जमा आय या पावती को आय के अन्य शीर्ष के अधीन समझा जाएगा।				क	गृह संपत्ति	3क			
					ख	पूंजी अभिलाभ	3ख			
					ग	अन्य स्रोत	3ग			
					गi	लाभांश आय	3गi			
					गii	लाभांश आय के	3गii			
4	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कड.					4क				
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है									
	क	फार्म/ फार्मों से आय का अंश			5क					
	ख	ए.ओ.पी/बी.ओ.ए से आय के शेयर			5ख					
	ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)								
	i				गi					
ii				गii						
iii	कुल (गi + गii)			5गiii						
घ	कुल आय पर छूट (5क + 5ख + 5गiii)					5घ				
6	बकाया (1- 2क - 2ख - 3क - 3ख - 3ग - 3घ - 3ड - 4- 5घ)								6	
7	लाभ और हानि लेख में विकलित व्यय आय के अन्य शीर्ष के अधीन प्रभाव्य समझा जाएगा।				क	स्वामित्व संपत्ति	7क			
					ख	पूंजी अभिलाभ	7ख			
					ग	अन्य स्रोत	7ग			
8	कुल (7क + 7ख + 7ग)					8				
9	समायोजित लाभ या हानि (6+9)								9	
10	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और अपकरण								10	
11	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण									
	i	धारा 32(1)(ii) और धारा 32(1)(ii क) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण					11i			
	ii	धारा 32(1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (आय कर नियम की परिशिष्ट 1 को निर्दिष्ट करते हुए स्वयं अपनी संगणना करें)					11ii			
	iii	कुल (11i + 11ii)					11iii			
12	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)								12	
13	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम					13				
14	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम					14				
15	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम					15				
16	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम					16				
17	पूर्व वा के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं					17				
18	सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय					18				
19	धारा 41 के अधीन समझी गई आय					19				
20	धारा 32कग/ 33कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक/ 35कखख/ 32कग/40क(3क) / 33कग/ 72क के अधीन समझी गई आय					20				
21	धारा 43गक के अधीन समझी गई आय					21				
22	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदे					22				
23	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अनज्ञेय नहीं है (फर्मों से जिसमे कंपनी भागीदार है, वेतन, कमीशन बोनस और ब्याज सहित)					23				
24	कुल (13+14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23)								24	
25	धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती					25				
26	धारा 32कघ के अधीन अनुज्ञेय योग्य कटौती					26				
27	धारा 32गक के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम					27				

28	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 या 35 गगग या 35गगघ के अधीन अनुज्ञेय कटौती (यदि धारा 35 या 35गगग या 35गगघ के अधीन रकम लाभ और हानि लेखा की विकसित रकम से कम है तो यह मद 24 में जाएगी)	28		
29	किसी पूर्वगामी पूर्व वा में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वा के दौरान अननुज्ञेय	29		
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वा में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वा के दौरान अनुज्ञेय कोई	30		
31	कटौती के रूप में अनुज्ञात कोई अन्य रकम	31		
32	आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में कमी या हानि में बढ़त कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव	32		
33	कुल (25+26+27+28+29+30+31+32)	33		
34	आय (12+24+33)	34		
35	निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि -			
	i धारा 44कड	35i		
36	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34 + 35)	36		
37	नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू हों लागू करने के पश्चात् सट्टे के बाजार या विनिर्दिष्ट व्यवसाय से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू नहीं हैं तो 36 की वही रकम यथाप्रविष्ट करे)	अ37		
आसट्टे के कारबार से आय की संगणना				
38	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	38		
39	धारा 28 से 44घख के अनुसार परिवर्धन	39		
40	धारा 28 से 44घख के अनुसार कटौतियां	40		
41	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (38 + 39 + 40)	ख41		
इ धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना				
42	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से कुल लाभ या हानि	42		
43	धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार जोड़	43		
44	धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार कटौतियां (धारा 35कघ (ii), 32 या 35 जिसमें धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया के अधीन कटौती से भिन्न)	44		
45	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (42 + 43 + 44)	45		
46	धारा 35कघ(1) के अनुसार कटौतियां	46		
47	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (45 + 46)	इ47		
48	धारा 35 अ.ई की उपधारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को सम्मिलित करते हैं (ड्रॉप डाउन मेन्यू से चयन करने के लिए)	इ48		
ई	लाभ और हानि शीर्ष के अधीन प्रसार्य आय (अ37+आ41+ इ48)	ई		
उ चालू वा में कारबार हानि का अन्तःशीर्ष मुजरा				
क्र. सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वा की आय (इस खाने को उसी दशा में भरें यदि अंक शून्य या	कारबार हानि मुजरा	मुजरा पश्चात् बची हुई कारबार आय
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
i	हानि का मजरा(इस पंक्ति को तभी भरें यदि अंक नकारात्मक		(क37)	
ii	सट्टे के कारबार से आय	(ख41)		
iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग47)		
iv	कुल हानि मुजरा (ii + iii)			

अनुसूची सीवाईएलए चालू वा की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे

क्र. सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	चालू वा की आय (इस स्तम्भ को केवल तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वा में मुजरा की गई गृह संपत्ति की हानि	चालू वा में मुजरा की गई (सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न) कारबार हानि	चालू वा में मुजरा की गई (घुड़दौड़ से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वा की शेष आय
			कुल हानि (अनुसूची- (गृह संपत्ति का 4)	कुल हानि (अनुसूची कारबार वृत्ति का अ-21)	कुल हानि (अनुसूची-ओएस का 6)	
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
	समायोजित की जाने वाली हानि					
i	गृह संपत्ति					
ii	कारबार (सट्टेबाजी आय और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)					
iii	सट्टेबाजी से आय					
iv	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय					
v	15 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
vi	30 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
vii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुप्रयुक्त दरों पर					
viii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
ix	10 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
x	20 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
xi	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
xii	अन्य स्रोतों से शुद्ध आय (घुड़ दौड़ एवं लौटरी से जीत पर लाभ को छोड़कर)					
xiii	दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व और रखने से लाभ					
xiv	मुजरा की गई कुल हानि					
xv	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि					

चालू वा की हानि समायोजन

अनुसूची पीटीआई

धारा 115पक, 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

क्रम	धारा 115पक/115पख द्वारा सम्मिलित निवेश सत्ता	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश कोष द्वारा वितरित चालू वर्ष क्षति का हिस्सा	निवल आय/क्षति 9=7-8	ऐसी रकम पर खोत पर कर कटौती, यदि कोई हों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)			i	गृह संपत्ति				
				ii	पूँजी अभिलाभ				
					क	अल्पकालिक अवधि			
					का	धारा 111क			
					काii	अन्य			
					ख	दीर्घकालिक अवधि			
					खा	धारा 112क			
					खii	112क से भिन्न धाराएं			
				iii	अन्य खोत				
				क	लाभांश				
				ख	अन्य				
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
					क	धारा 10(23चखख) के अधीन			
					ख	धाराके अधीन			
					ग	धारा.....के अधीन			
2.				i	गृह संपत्ति				
				ii	पूँजी अभिलाभ				
					क	अल्पकालिक अवधि			
					का	धारा 111क			
					काii	अन्य			
					ख	दीर्घकालिक अवधि			
					खा	धारा 112क			
					खii	112क से भिन्न धाराएं			
				iii	अन्य खोत				
				क	लाभांश				
				ख	अन्य				
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
					क	धारा 10(23चखख) के अधीन			
					ख	धाराके अधीन			

पास के माध्यम से आय

						अधीन				
						ग	धारा.....के			
							अधीन			
टिप्पण ► इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।										

अनुसूची एस.आई. विशेषा दरों से प्रभाय आय (कृपया अनुदेश देखें)

क्र. सं.	धारा	☑	विशेषा दर (%)	आय (i)	उस पर कर (ii)
1	111क (जहां एस.टी.टी संदत्त किया गया है वहां शेयरों पर एस.टी.सी.जी)	☐	15		
2	115 कघ (एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ जहां एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	☐	30		
3	112 परंतुक (सूचीकरण के बिना सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ यूनिटों पर एल.टी.सी.जी)	☐	10		
4	115 कग (अनिवासियों के लिए बंध पत्रों /जीडीआर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10		
5	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10		
6	112 (अन्य पर एल.टी.सी.जी)	☐	20		
7	112क (कारबार न्यास की साधारण शेयरोन्मुख निधि/ यूनिटों के साधारण शेयरों/ यूनिटों पर एल.टी.सी.जी, जिस पर एस.टी.टी संदत्त किया जाता है	☐	10		
8	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय एसटीसीजी	☐			
9	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय एलटीसीजी	☐			
10	धारा 115कग (अनिवासियों द्वारा व्याज के रूप में या बॉण्डस या विदेशी करेन्सी में क्रय किया गये लाभांश से आय)	☐	10		
11	धारा 115कग के अधीन प्रभाय अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर या बाण्डस के लाभांश पर आय	☐	10		
12	115खख (लाटरी,पहेली, दौड़ो, खेल आदि से जीत)	☐	30		
13	115 खखड (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या 69घ के अधीन आय)	☐	60		
14	विशेष दर पर कोई अन्य आय (ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए)	☐		(अनुसूची ओ.एस के 2ग का भाग)	
15	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय अन्य स्रोतों से आय	☐		(अनुसूची ओ.एस के 2ड का भाग)	
16	15% की दर पर प्रभाय अल्प कालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासश्रू आय	☐	15		
17	30 प्रतिशत की दर से प्रभाय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पासश्रू आय	☐	30		
18	10% की दर पर प्रभाय दीर्घकालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासश्रू आय	☐	10		
19	20% की दर पर प्रभाय दीर्घकालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासश्रू आय	☐	20		
20	धारा 112क से भिन्न 10 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घाविधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	☐	10		
21	विशेष दरों पर प्रभाय अन्य स्रोत से आय की प्रकृति में पासश्रू आय	☐		(अनुसूची ओएस का 2घ)	
22	अन्य स्रोतों आय पर विशेष दरों पर प्रभाय होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटी में ड्राप-डाउन दिया जाएगा)				
			योग		

अनुसूची 115नघ धारा 115नघ के अधीन अभिवर्धित आय

1	न्यास/संस्था की कुल आस्ति की कुल संपूर्ण योग उचित बाजार मूल्य	1	
2	घटाएं—न्यास/संस्था का कुल दायित्व	2	
3	आस्ति का शुद्ध मूल्य (1-2)	3	
4	(i) धारा 10(1) में निर्दिष्ट आय से बाह्य अर्जित प्रत्यक्ष रूप से आस्ति की एफ.एम.वी	4i	
	(ii) धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख/ अनंतिम पंजीकरणके लिए सृजन या स्थापन की तारीख से अवधि के दौरान अर्जित आस्तियों का एफ.एम.वी और 12क/12कख के अधीन दावा नहीं किया गया	4ii	
	(iii) धारा 115नघ(2) के लिए तीसरे परंतुक के अनुसार अंतरित आस्तियों का एफ.एम.वी	4iii	
	(iv) कुल (4i + 4ii + 4iii)	4iv	
5	उपर्युक्त 4 पर आस्तियों की बाबत दायित्व	5	
6	धारा 115नघ [3-(4iv-5)] के अनुसार अभिवृद्धि आय	6	

7	अधिकतम उपांतिक दर पर 115नघ के अधीन संदेय अतिरिक्त आय-कर			7	
8	115नघ के अधीन संदेय ब्याज			8	
9	धारा 115नघ के अधीन विनिर्दिष्ट ऋण			9	
10	अतिरिक्त आय-कर और संदेय ब्याज			10	
11	आय और संदत्त ब्याज			11	
12	संदाय/प्रत्यपणीय (10 - 11)			12	
13	अभिवर्धित आय पर कर पर कर के निक्षेप की तारीख	तारीख 1 दिन/मास/वर्ष	तारीख 2 दिन/मास/वर्ष	तारीख 3 दिन/मास/वर्ष	
14	बैंक और शाखा का नाम				
15	बीएसआर कोड				
16	चालान की क्रम संख्या				
17	जमा की गई रकम				

अनुसूची- एफएसआई			भारत से बाहर होने वाली आय और कर राहत के ब्यौरे (निवासी के मामले में उपलब्ध)						
क्र.	देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	क्र.	आय के शीर्ष	भारत से बाहर आय (भाग ख-टीआई में सम्मिलित)	भारत के बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर कर संदेय	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड)(ग)या (घ) जो भी कम हो	यदि धारा 90 या 90क के अधीन राहत कर दावा किया गया है तो डीटीए का सुसंगत अनुच्छेद
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)
भारत से बाहर होने वाली आय	1		i	गृह संपत्ती					
			ii	कारबार या वृत्ति					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोतों					
			कुल						
	2		i	गृह संपत्ती					
			ii	कारबार या वृत्ति					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोतों					
			कुल						

टिप्पण ►
कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें

अनुसूची-टीआर

भारत से बाहर संदत्त करों के लिए कर राहत की संक्षिप्त जानकारी (निवासी के मामले में उपलब्ध)

भारत से बाहर संदत्त कर के लिए कर राहत	1	दावाकृत चाहे गए कर राहत के ब्यौरे				
		देश का कोड	करदाता की पहचान सं०	भारत के बाहर संदत्त कुल कर प्रत्येक देश के संबंध में अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग	अनुसूची एफएसआई में घोषित आय पर संदत्त कुल कर प्रत्येक देश के संबंध में अनुसूची एफएसआई के (घ) का योग	दावाकृत धारा के अधीन राहत (90,90क या 91 विनिर्दिष्ट करें)
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
		कुल				
	2	जहां डीटीए लागू होता है, उस देश के संबंध में उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 90/90क) (1(घ) के योग का भाग)				2

अनुसूची वि.आ. भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

अ1	प्रासंगिक कैलेंडर अवधि के दौरान किसी समय पर धारित विदेशी निक्षेपागार खाते(अन्य लाभकारी हित शामिल)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
आ2	प्रासंगिक कैलेंडर अवधि के दौरान किसी समय पर धारित विदेशी कस्टोडियल खाते(अन्य लाभकारी हित शामिल)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
अ3	प्रासंगिक कैलेंडर अवधि के दौरान किसी समय पर धारित विदेशी इक्विटी तथा ऋण ब्याज खाते(अन्य लाभकारी हित शामिल)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
अ4	प्रासंगिक कैलेंडर अवधि के दौरान किसी समय पर धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा अनुबंध और वार्षिकी अनुबंध (अन्य लाभकारी हित शामिल)											
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम		वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य		अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		
(i)												
(ii)												
ख	प्रासंगिक कैलेंडर अवधि के दौरान किसी समय पर धारित अन्य इकाई में वित्तीय हित (अन्य लाभकारी हित शामिल)											

क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
ग	प्रासंगिक कैलेंडर अवधि के दौरान किसी समय पर धारित अचल संपत्ति (अन्य लाभकारी हित शामिल)											
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
घ	प्रासंगिक कैलेंडर अवधि के दौरान किसी समय पर धारित अन्य पूंजीगत आस्ति (अन्य लाभकारी हित शामिल)											
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
ङ	प्रासंगिक कैलेंडर अवधि के दौरान किसी समय पर धारित खातों का विवरण जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं तथा जो उपर्युक्त क से घ में शामिल नहीं हैं। (अन्य लाभकारी हित शामिल)											
क्र.सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	देश का नाम और कोड	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		

[illegible]

च	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो।
---	---

[illegible]

छ	भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है
---	--

क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)									
(ii)									

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें।

[illegible]

भाग - ख

भाग ख- कुल आय तारीख 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आय का विवरण

आय का विवरण	भाग ख- यदि धारा 12क/ 12कक/ 12 कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या धारा 10(23ग)(iv)/ 10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/ 10(23ग)(vi) के अधीन अनुमोदित, मद 1 से 7 को भरे (यदि लागू हों)			
	1	समग्र से भिन्न स्वेच्छिक अभिदाय [अनुसूची फग (कांड़ +खंड़)]	1	
	2	धारा 11(1)(घ) के अनुसार समग्र का भाग करने वाला स्वेच्छिक अभिदाय [भाग ख (क +ख)]	2	
	क	धारा 80ख(2)(ख) के तहत अधिसूचित [अनुसूची वी.सी का क + खंक] स्थानों के नवीनीकरण एवं मरम्मत के लिए प्राप्त कॉर्पस प्रतिनिधित्व दान	क	
	ख	उपर्युक्त के अलावा कॉर्पस [अनुसूची वी.सी का क + खंक]	ख	
	3	अनुसूची जे के स्तंभ (8) के भाग ए1 के अनुसार कॉर्पस राशि दान छूट के योग्य नहीं	3	
	4	भागख - कुल आय के (2-3) के कॉर्पस दान राशि 11(5) मोड में निवेशित तथा छूट के योग्य	4	
	5	उपरोक्त 1 और 2 में सम्मिलित ऐच्छिक अभिदाय को अपवर्जित करके पूर्व वर्ष के दौरान वियुत्पन्न धारा 11, धारा 12 और धारा 13(23ग)(iv), 10(23ग)(v) और 10(23ग)(vi) में निर्दिष्ट कुल आय	3	
	6	पूर्व या धार्मिक प्रयोजनों के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए आय का उपयोग :-		
	i	उधार ली गई निधि, समझा गया उपयोजन, 15% तक पूर्ववर्ष के संचयन आदि से आवेदन को छोड़कर अर्थात् पूर्ववर्ष की आय से नहीं [अनुसूची ई.आर से क्रम संख्या झ]	6i	
	ii	पूर्ववर्ष के दौरान उपयोग की गई रकम पूंजीलेखा (उधार ली गई निधियों से अनुपयोजन को छोड़कर) समझा गया 15% तक पूर्ववर्ती वर्ष संचयन अर्थात् पूर्ववर्ती वर्ष की आय से नहीं [अनुसूची ई.सी से क्रम संख्या ड]	6ii	
	iii	गत वर्ष के दौरान ऋण का पुर्नभुगतान - [अनुसूची जे की तालिका ए2 की क्रम सं. 4]	6iii	
	iii क	गत वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त राशि कॉर्पस निधि के निर्दिष्ट मोड में वापस निवेशित अथवा जमा (न्यास या संस्थान के वस्तुओं के लिए कोष अनुप्रयोग पर पहले अस्वीकृत निवेशित और वापिस जमा, एक या अधिक प्ररूप में या धारा 11(5) में निर्दिष्ट मोड में ऐसे कॉर्पस के लिए विशिष्ट रूप से, उस वर्ष को आय से ऐसे निवेश या जमा की सीमा तक [अनुसूची जे की तालिका ए1 का क्रम सं. 4]	6iii क	
	iv	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुसूची घ के स्तंभ 2 में धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) के अनुसार पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त डीमड राशि	6iv	
	क	यदि उपर्युक्त (iv) लागू हों, जहां निर्धारण अधिकारी को प्ररूप सं. 9क देने का विकल्प है	6iv क	
	ख	यदि हां, प्ररूप सं. 9क देने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	6iv ख	
	v	पूर्व या धार्मिक प्रयोजनों हेतु उपयोजन के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए संचित या पृथक् रकम उस विस्तार तक जहां तक यह धारा 11(1)(क)/धारा 11(1)(ख) के अधीन या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के निबंधनों में न्यास/संस्था में धारित संपत्ति से व्युत्पन्न आय के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है [उपरोक्त (1+5) के अधिकतम 15 प्रतिशत तक निर्बंधित]	6v	
	vi	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुसूची घ के स्तंभ 2 में उपर्युक्त iv में संदर्भित राशि के अतिरिक्त राशि-संचित या अलग हटा के, निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ—यदि धारा 11(2) व 11(5) या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक की सभी शर्तें पूरी की जाती है।	6vi	
	vii	धारा 11(1)(ग) के अनुसार भारत से बाहर पूर्व प्रयोजनों के लिए उपयोजित रकम	6vii	
	क	अनुमोदन संख्या और बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	6vii क	
	ख	बोर्ड द्वारा दी गई अनुमोदन की तारीख	6vii ख	
	viii	कुल [6i + 6ii + 6iii + 6iii क + 6iv + 6v + 6vi + 6vii]	6viii	
7	जोड़ें			
i	धारा 11(1ख) के अधीन प्रभार्य आय (अनुसूची घ के स्तंभ 6 का कुल योग)	7i		
ii	धारा 11(3) के अधीन प्रभार्य आय (अनुसूची 1 के स्तंभ 13 का कुल योग)	7ii		
iii	आय जिसके संबंध में धारा 11 के अधीन छूट उपलब्ध नहीं है			
क	अनुसूची बी.सी के घां iii पर गुप्त दान	7iii क		

ख	धारा 13(1)(ग) या 13(1)(घ) के अधीन अनुज्ञात (अनुसूची ज के भाग ड समेत)	7iii ख		
iv	धारा 12(2) के अधीन प्रयार् आय		7iv	
v	धारा 11(1) के अधीन अनुज्ञेय रकम अ.सा.प 40(क)(i)क) या 10(23ग) अ.सा.प 40(क)(i)क)		7v	
vi	धारा 11(1) के अधीन अनुज्ञेय रकम अ.सा.प 40अ(3)/(3अ) या 10(23ग) अ.सा.प 40अ(3)/(3अ)		7vi	
viiक	धारा 11(1) धारा 80जी(2)(ख) के साथ पठित स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या (ख) या (ग) या (घ) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 3ख के अनुसार आय		7viiक	
viiख	धारा 11(1) धारा 80जी(2)(ख) के साथ पठित स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या (ख) या (ग) या (घ) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 1ख के अनुसार		7viiख	
viii	कुल [7i + 7ii+7iiiक +7iii ख +7ivI +7v + 7vi + 7viiक + 7viiख]		7viii	
8	धारा 11(4) के अधीन प्रयार् आय		8	
9	धारा 11/10(23ग)(iv)/10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/10(23ग)(vi) के अधीन छूट के पश्चात् सकल आय [(1+5-6viii)+3+7viii+8]		9	

10	उपर्युक्त मद सं 9 का भाग नहीं बनने वाली आय		
i	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची जत का 4) (शून्य भरें यदि हानि)	10i	
ii	कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ (अनुसूची खत की मद सं 34 के अनुसार)	10ii	
iii	शीर्ष अभिलाभ के अधीन आय		
	क अल्पकालिक	10iiiक	
	का 15%की दर से अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9ii)	का	
	काii 30% की दर से अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9iii)	काii	
	काiii दीर्घकालिक प्रभार्य अनुप्रयुक्त दरों पर (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9iv)	काiii	
	काiv डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9vi)	काiv	
	कव कुल अल्पकालिक (क i + क ii + क iii + क iv) (यदि हानि हो तो शून्य दर्ज करें)	कव	
	ख दीर्घकालिक	10iiiख	
	खा 10% की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9vi)	खा	
	खाii 20%की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9vii)	खाii	
	खाiii डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9viii)	खाiii	
	खाiv कुल दीर्घकालिक (खा i + खाii + खाiii) (यदि हानि हो तो शून्य दर्ज करें)	खाiv	
	ग कुल पूंजी अभिलाभ (10iiiक +10iiiख) (कव + खाiv) (शून्य भरें यदि हानि हों)	10iiiग	
iv	अन्य स्रोतों से आय (अनुसूची णद की मद संख्या 9 के अनुसार)	10iv	
v	कुल (13i + 13ii + 13iii + 13iv)	10v	
11	सकल आय [9+10]	11	
12	चालू वा में 12v के विरुद्ध मुजरा की गई हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2ix, 3ix और 4ix का योग)	12	
13	कुल आय [11-12]	13	
14	ऐसी आय जिसे 13 में सम्मिलित किया गया और विशो दरों पर कर से प्रभार्य है (अनुसूची एसआई 1क का योग)	14	

15	शुद्ध शेष कृषि आय दर प्रयोजन के लिए यदि अनुपयुक्त नहीं है।	15	
16	कुल आय (13 - 14 + 15) (यदि (13 - 14) उस रकम से अधिक है जो प्रभार्य नहीं है तो लागू हो)	16	
17	16 में सम्मिलित अनाम संदान, जिन पर धारा 115खखग के अधीन 30 प्रतिशत की दर पर कर लगाया (अनुसूची बी.सी का घाँ))	17	
18	अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभार्य आय	18	
भाग ख 2 - यदि धारा 13क/13ख तथा धारा 10(21), 10(22ख), 10(23क), 10(23कक), 10(23ख), 10(23डग), 10(23डघ), 10(23डड), 10(29क), 10(23ग)(iii क ख), 10(23ग)(iii कग), 10(23ग)(iiiकघ), 10(23ग)(iiiकड), 10(23घ), 10(23घक), 10(23घख), 10(24), 10(46), 10(47) के अधीन छूट का दावा किया गया है।			
1	धारा 10(21), 10(22ख), 10(23क), 10(23कक), 10(23ख), 10(23डग), 10(23डघ), 10(23डड), 10(29क) के अधीन छूट योग्य राशि	1	
2	धारा 10(23ग)(iii कख), 10(23ग)(iiiकग), 10(23ग)(iiiकघ), 10(23ग)(iiiकड), 10(23घ), 10(23घक), 10(23घख), 10(24), 10(46), 10(47) के अधीन छूट योग्य राशि	2	
3	धारा 10 के किसी अन्य खंड के अधीन छूट योग्य राशि (1 व 2 के अलावा)	3	
4	धारा 11(3), धारा 10(21) के साथ पठित, के अधीन प्रभार्य आय [अनुसूची I के स्तंभ 13 का कुल योग]	4	
5	राजनैतिक दल के मामले में धारा 13क के अधीन छूट का दावे के साथ आय	5	
6	चुनावी ट्रस्ट के मामले में धारा 13ख के अधीन छूट के दावे के साथ आय वर्ष के दौरान स्वैच्छिक अंशदान (अनुसूची ई टी के मद सं. 6vii)	6	
7	वर्ष के दौरान स्वैच्छिक अंशदान	7	
8	आय शीर्ष		
i	आवासीय संपत्ति से आय [अनुसूची एच पी का 4] (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	8i	
	ii व्यवसाय या पेशा से लाभ व अभिलाभ [अनुसूची बीपी के मद सं. 34 के अनुसार]	8ii	
	iii पूंजीगत लाभ शीर्ष के अधीन आय		
	क अल्पकालिक (अनुसूची पूंजी अभिलाभ का ए5)	8iii क	
	क i अल्पकालिक प्रभार्य 15% की दर से (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9ii)	क i	
	क ii 30% की दर से अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9iii)	क ii	
	क iii दीर्घकालिक प्रभार्य अनुपयुक्त दरों पर (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9iv)	क iii	
	क iv डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9v)	क iv	
	क v कुल अल्पकालिक (क i + क ii + क iii + क iv) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	क v	
	ख दीर्घकालिक (अनुसूची पूंजी अभिलाभ का बी 4) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	8iii ख	
	ख i 10% की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9vi)	ख i	
	ख ii 20% की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9vii)	ख ii	
	खiii डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9viii)	खiii	
	ख iv कुल दीर्घकालिक (ख i + ख ii + ख iii) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	ख iv	
	ग कुल पूंजीगत लाभ (क v + ख iv) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	8iii ग	
iv	अन्य स्रोतों से आय [अनुसूची ओ एस के मद संख्या 9 के अनुसार]	8iv	
v	कुल (8i + 8ii + 8iii ग + 8iv)	8v	
9	सकल आय [7+8v-5-6] +4	9	

10	8 के विरुद्ध वर्तमान वर्ष को हानि का समायोजन करना (अनुसूची सी वार्ड एल ए के 2ix, 3ix और 4ix का कुल योग)	10	
11	सकल कुल आय (9-10)	11	
12	(अनुसूची एस आई के स्तंभ (i) का कुल योग) 11 में शामिल आय तथा विशेष दरों पर कर प्रभार्य	12	
13	दर प्रयोजनार्थ शुद्ध कृषि आय	13	
14	कुल आय (11-12+13) [लागू यदि (11-12) कर प्रभार्य के लिए अधिकतम राशि ज्यादा हो]	14	
15	धारा 115खखग के अधीन 30 प्रतिशत की दर से 14 में शामिल अज्ञात दान (अनुसूची वी सी का घ iii)	15	
16	अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभार्य आय	16	

भाग ख- कुल आय पर कर कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

1	कुल आय पर संदेय कर					
	क	सामान्य दरों पर कर (16-17-18) के भाग ख -टी.आई का भाग ख 1] या (14-15-16) भाग ख 2 के भाग ख - टी.आई पर	1क			
	ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची एसआई का (ii) का योग)	1ख			
	ग	भाग ख - टी.आई के भाग ख I के क्रम सं. 17 पर या भाग ख - टी.आई के भाग ख 2 के क्रम सं. 15 पर धारा 115खखग के अधीन 30 प्रतिशत की दर से अज्ञात दान पर कर	1ग			
	घ	भाग ख - टी.आई के भाग ख I के क्रम सं. 18 पर या भाग ख - टी.आई के भाग ख 2 के क्रम सं. 16 पर धारा 115खखग के अधीन अधिकतम सीमांत दर पर कर	1घ			
	ङ	कृषि आय पर छूट [भाग ख I में लागू यदि (13-14) भाग ख - टी.आई कर प्रभार्य नहीं से अधिकतम राशि ज्यादा हो या] ङ ख भाग ख I में लागू यदि (11-12) भाग ख - टी.आई कर प्रभार्य नहीं से अधिकतम राशि ज्यादा हो]	1ङ			
	च	कुल आय पर कर संदाय (1क + 1ख +1ग +1घ – 1ङ)			1च	
	2 अधिभार				3	
	i	अनुसूची घझ का 13 का 25%	2i			
	ii	पर (1च -अनुसूची धझ का 13)	2ii			
	iii	कुल (i + ii)			2iii	
3 स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1च+ 2iii)				3		
4 सकल कर दायित्व (1च+2iii +3)				4		
5 कर राहत						
	क	धारा 90/90क (अनुसूची कर 2 विवरणी)	5क			
	ख	धारा 91 (अनुसूची कर 3 विवरणी)	5ख			
	ग	कुल (5क+5ख)		5ग		
6 शुद्ध कर दायित्व (4-5ग)				6		
7 देय फीस और ब्याज						
	क	विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	7क			
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	7ख			
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	7ग			
	घ	आय की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए फीस (धारा 234घ)	7घ			
	ङ	संदेय कुल ब्याज और फीस (7क+7ख+7ग + 7घ)		7ङ		
8 कुल दायित्व (6+7ङ)				8		
संदत्त कर	9 संदत्त कर					
	क	अग्रिम कर (15क का स्तंभ 5)	9क			
	ख	स्रोत पर कर की कटौती (15ख का स्तंभ 9)	9ख			

	ग	स्रोत पर कर का संग्रहण (15ग का स्रोत 9)	9ग			
	घ	स्वतः कर निर्धारण (15क का स्रोत 5)	9घ			
	ड	कुल संदत कर (9क+9ख+9ग+9घ)		9ड		
10	संदेय रकम (यदि 8, 9ड से अधिक है तो 12 प्रविट करें अन्यथा 0 प्रविट करें)					10
11	प्रतिदाय (यदि 9ड, 8 से अधिक है), (प्रतिदाय, यदि कोई है, तो बैंक खाते में सीधे जमा करा दिया जाएगा)					11
12	धारा 115नड के अंतर्गत व्याज सहित 115नघ आय पर देय निवल कर (अनुसूची 115नघ का क्रम संख्या 12)					12
13	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (भारत में बिना किसी बैंक खाते के प्रतिदाय का दावा करने वाले अनिवासी नहीं का चयन कर सकते हैं)					हां अथवा नहीं का चयन करें
बैंक खाता	क) पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों के ब्यौरे (डोरमेट खातों को छोड़कर)					
	क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आई.एफ.एस कोड	बैंक का नाम	खाता सं.	डिजिटल रसीद/भुगतान हेतु प्रयोग किए खातों को इंगित करें	
	i				उस खाते को इंगित करें जिसमें आप क्रेडिट किए गए अपने प्रतिदाय का पाना पसंद करेंगे (प्रतिदाय के लिए एक खाते को ☒ करें)	
	ii					
	नोट: 1. प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन होना चाहिए। 2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए नानाविध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है तब प्रतिदाय विवरणी का संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा।					
	यथा अपेक्षित पंक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं					
	ख) अनिवासी, जो आयकर प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं और उनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत करें:					
	क्रं. सं.	एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी कोड	बैंक का नाम	देश की अवस्थिति	आई.बी.ए.एन	
	14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय i) (भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां) जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित सम्मिलित है (को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। ii) (भारत के बाहर स्थित किसी एकाउन्ट में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या iii) (भारत के बाहर किसी स्रोत से आह?) निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें (				☐ हां ☐ नहीं

15 अनुसूची-आयकर					
क	अग्रिम कर और स्वतःनिर्धारण के संदायों के ब्यौरे				
कर संदाय	क्रं.सं.	बी.एस.आर कोड	जमा करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	चालान की क्रम संख्या	रकम (रुपए में)
	i				
	ii				
	iii				
	iv				
	v				
	vi				
टिप्पण	भाग ख-टीटीआई की क्रम सं0 9क और 9घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर का योग प्रविट करें।				
ख	स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ के अनुसार]				

क्र.सं०	स्वयं/ अन्य व्यक्ति [नियम 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	अन्य व्यक्ति का पैना/ आधार (यदि टीडीएस क्रेडिट अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/ किराएदार/ क्रेता का पैना/ आधार	अग्रेषित अदावाकृत टीडीएस		चालू वित्तीय वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान काटा गया टीडीएस)		इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित , लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।			प्रस्तुत की गई तदनुरूपी रिसीट/ आहरण		अग्रेषित टीडीएस क्रेडिट	
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	अग्रेषित टीडीएस	स्वयं कटौती	नियम 37खक(2) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में काटा गया (यदि लागू हो)	स्वयं के हाथों में दावा की गई	नियम 37खक(2) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में दावा किया गया (यदि लागू हो)			कुल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			(11)	(12)	(13)
							आय	टीडीएस		आय	टीडीएस	पैना/ आधार		
i														

ग	स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार]							
आय के स्रोत पर संगृहीत कर	क्र. सं.	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकाउंट नंबर	संग्रहणकर्ता का नाम	अग्रणीत अदावाकृत स्रोत पर कर संग्रहण रकम		वर्तमान वित्त वर्ष का टी सी एस (वि.व. 2021-22 के दौरान संग्रहित टी सी एस)	(5) और (6) में से इस वा में दावाकृत रकम केवल यदि तत्समान आय पर इस वा कर दिया जा रहा है	(5) या (6) में से अग्रणीत की गई रकम
				वित्तीय वर्ष जिसमें टीसीएस संग्रहित किया जाता है	अग्रणीत रकम			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	i							
	ii							
टिप्पण: कृपया भाग -ख टैटोआई के 9ग म स्तंभ (7) याग प्राविष्ट कर								

सत्यापन

मैं, _____ पुत्र/पुत्री _____, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि इसके साथ संलग्न विवरणी और अनुसूचियों, विवरणों आदि में दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही और पूरी है।

मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह विवरणी अपनी की हैसियत में दे रहा/दे रही हूँ और मैं इस विवरणी को देने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी खाता संख्यांक है (यदि आबंटित हुआ हो) (कृपया अनुदेश देखें)।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

स्थान

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें ➔.

[अधिसूचना सं. 23/2022/फा. सं. 370142/8/2022-टीपीएल (भाग VII)]

शेफाली सिंह, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सा.का.नि. 231(अ), तारीख 30 मार्च, 2022 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।